न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील सं. : – 01/2020

अपीलान्ट –

1. भंवरी आयु वयस्क पुत्री स्वर्गीय रामुराम
2. विमला आयु वयस्क पुत्री स्वर्गीय रामुराम
   जाति–नाई, निवासी–कठौती, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

1. ग्राम पंचायत कठौती जरिये सरपंच/ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत कठौती पंचायत समिति जायल जिला–नागौर (राज.)
2. श्यामसुन्दर पुत्र रामपाल जाति नाई निवासी कठौती तहसील जायल जिला–नागौर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 09 (05) बैठक दिनांक 02.10.1999 नामान्तकरण संख्या 1103 ग्राम पंचायत कठौती पंचायत समिति जायल

1. अधिवक्ता श्री एच.आर. मण्डा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिश पारीक
3- रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर।

दिनांक : 16/12/2020

– : : निर्णय : :–

नामान्तकरण अपील का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता नामान्तरकरण अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के ग्राम पंचायत कठौती द्वारा प्रस्ताव संख्या 09 (5) दिनांक 02.10.1999 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1103 के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता स्व. रामुराम की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 1821 रकबा 15.02 बीघा व खसरा नं. 1848 रकबा 13.19 बीघा मौजा कठौती तहसील जायल में रहती चली आई है। स्व. रामुराम जी के स्वर्गवास के समय उनके प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीगण में उनकी पत्नि सीतादेवी व उसके दो पुत्रियां अपीलार्थीगण ही थे। इसके अलावा और कोई उतराधिकारीगण नही था। जिसके

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

16/12/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

बावजूद रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तरण में अपीलार्थी गण के नाम नामान्तरकरण नहीं भरा तथा रेस्पोडन्ट संख्या 2 श्यामसुन्दर जो कि स्व. रामुराम का कभी भी दतक पुत्र नहीं था व मोहनी के नाम से राजस्व कर्मचारियो द्वारा भूलवशः व गलत रूप से नामान्तरकरण भर दिया। उक्त नामान्तरण भरे जाने व प्रस्ताव पारित किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। अपीलार्थी पर्दानशीन व अनपढ़ औरते है जिन्हे रेवेन्यू रेकर्ड संबंधी कोई जानकारी नहीं हो पाई। इसलिए हाल ही में अपने पिता रामुराम की फौतगी के संबंध में नामान्तरण भरने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला की उनके पिता का फौतगी नामान्तकरण भरा जा चुका है। इस संबंध में अपीलार्थी को दिनांक 29.07.2020 को जानकारी प्राप्त होते ही प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो प्राप्त होते ही अपील पेश की है, जो अन्दर मियाद है फिर भी धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र पृथक से उक्त उक्त नामान्तकरण व आदेश से क्षुब्द होकर अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत कठौती द्वारा प्रस्ताव संख्या 09 (5) दिनांक 02.10.1999 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1103 को विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने, तथा स्व. रामुराम के स्वर्गवास के पश्चात प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीगण में उनकी धर्मपत्नि सीतादेवी, व पुत्रियां भंवरीदेवी व विमलादेवी के नाम स्वीकार किये जाने तथा ग्राम कठौती तहसील जायल के खसरा नं. 1881 व 1848 की खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण भरे जाने, खर्चा मामला व अन्य दादरसी जो लाभार्थ अपीलांट हो वह अलग से प्रदान की जावे।

अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्न तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत कठौती से नामान्तकरण अपील के संबंध बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब हेतु तहरीर जारी की गई। तारीख पेशी दिनांक 09.09.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश पारीक ने वकालातनामा मय ग्राम पंचायत कठौती के दिनांक 02.10.1999 की बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां पेश की जिनका ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड से मिलान किया गया। हस्तगत अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर ने वकालातनामा पेश किया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने नामान्तरकरण अपील के संबंध में किसी प्रकार जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अवसर बंद किया गया तथा वकुलाय हस्तगत नामान्तरकरण अपील में सीधें बहस बाबत् निवेदन पर पत्रावली में बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

धारा 5 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1103 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील व अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 1103 व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पेश द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण म्याद के बिन्दु की पूर्ति कर रहा है। मिसल वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता वकील अपीलार्थी ने बहस में ग्राम पंचायत कठौती द्वारा प्रस्ताव संख्या 09 (5) दिनांक 02.10.1999 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1103 के संबंध में निवेदन किया कि अपीलार्थी के पिता स्व. रामुराम की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 1821 रकबा 15.02 बीघा व खसरा नं. 1848 रकबा 13.19 बीघा मौजा कठौती तहसील जायल में रहती चली आई है। स्व. रामुराम जी के स्वर्गवास के समय उनके प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीगण में उनकी पत्नि सीतादेवी व उसके दो पुत्रियां अपीलार्थीगण ही थे। इनके अलावा और कोई उतराधिकारी नही था। जिसके बावजूद रेस्पोडेन्ट ने उक्त नामान्तकरण में अपीलार्थी गण के नाम नामान्तरकरण नहीं भरा तथा रेस्पोडन्ट संख्या 2 श्यामसुन्दर जो कि स्व. रामुराम का कभी भी दतक पुत्र नहीं था व मोहनी के नाम से राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। अपीलार्थी पर्दानशीन व अनपढ़ औरते है जिन्हे रेवेन्यू रेकर्ड संबंधी कोई जानकारी नहीं हो पाई। हाल ही में अपने पिता रामुराम की फौतगी के संबंध में नामान्तरण भरने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पता चला की उनके पिता का फौतगी नामान्तकरण भरा जा चुका है। अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 1103 रामुराम दिनांक 19.06.1999 को फौत हो जाने पर ग्राम सेवक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत कठौती द्वारा जारी उतराधिकारी प्रमाण पत्र एवं रामुराम के जायन्दा संतान नही होने पर गोदनामा रजिस्टर्ड

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

गोदनामा के अनुसार रामुराम की माता मोहनी, धर्मपत्नि व दत्तक पुत्र श्यामसुन्दर के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। हिन्दू उतराधिकार कानून की धारा 8 के अनुसार कोई भी पुरूष निर्वसीयत फौत होने पर म्यूटेशन प्रथम अनुसूची वर्ग संख्या 1 में अंकित वारिसान के नाम से दर्ज करने व यदि अनुसूची वर्ग 1 में अंकित वारिसान न होने की दशा में अनुसूची वर्ग संख्या 2 में अंकित वारिसान के नाम दर्ज किये जाने का प्रावधान है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलान्ट स्व. रामुराम की जायन्दा संतान है तथा अनुसूची वर्ग 1 के अनुसार विधिक वारिस है। ग्राम पंचायत कठौती द्वारा नामान्तकरण संख्या 1103 दिनांक 19.06.1999 में प्रस्ताव संख्या 9(5) में मोहनी का नाम जिसका पूर्ण विवरण अंकित नहीं करते हुये कि मोहनी कौन है? तथा बैठक कार्यवाही में अलग पैन/स्याही द्वारा अलग हैण्ड राईटिंग द्वारा अंकन किया गया है। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस आगे निवेदन किया कि मोहनीदेवी स्व. रामुराम की माता है।

नाामान्तकरण अन्दर मियाद है फिर भी धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र पृथक से उक्त उक्त नामान्तकरण व आदेश से क्षुब्द होकर अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत कठौती द्वारा प्रस्ताव संख्या 09 (5) दिनांक 02.10.1999 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1103 को विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। स्व. रामुराम के दत्तक पुत्र श्यामसुन्दर का गोदनामा निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है जिसका निर्णय नहीं हुआ है। अतः दतक पुत्र श्यामसुन्दर का नाम हटाते हुये स्व. रामुराम के प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारीगण में उनकी धर्मपत्नि सीतादेवी, व पुत्रियां भंवरीदेवी व विमलादेवी का नाम नामान्तरकरण भरा जावे। साथ ही खर्चा मामला व अन्य दादरसी जो लाभार्थ अपीलांट हो वह अलग से अपीलार्थी को दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दौराने बहस अपीलार्थी भंवरीदेवी व विमलादेवी स्व. रामुराम की पुत्रियां होना स्वीकार किया साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्व. रामुराम का जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के दत्तक पुत्र होना बताया, तथा स्व. रामुराम के फौत होने पर जांच करने बाद ही नामान्तकरण सही किया है। वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि विवादग्रस्त

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

खसरा के संबंध में न्यायालय हाजा में वाद 107/2013 (राजस्व वाद) व 56/2013 (प्रार्थना पत्र) विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत कठौती द्वारा ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 02.10.1999 में प्रस्ताव संख्या 9(5) का मूल से मिलान किया जिससे नामान्तकरण संख्या 1103 की ताईद हुई। दिनांक 19.06.1999 को रामुराम पुत्र सुजाराम जाति–नाई निवासी कठौती तहसील जायल फौत होने पर उसकी चल व अचल सम्पति का उतराधिकारी श्यामसुन्दर दतक पुत्र रामुराम नाई सा0 कठौती व सीतादेवी बैवा रामुराम नाई के नाम तथा मोहनीदेवी बैवा सुरजाराम (नामान्तकरण संख्या 1103 दिनांक 19.06.1999 में प्रस्ताव संख्या 9(5) में मोहनी का पूर्ण विवरण अंकित है, परन्तु यह अंकित नहीं है कि मोहनी कौन है? साथ ही यह भी स्पष्ट है कि बैठक कार्यवाही में अलग पैन/स्याही द्वारा अलग हैण्ड राईटिंग द्वारा लिखा हुआ है। वकील अपीलार्थी के कथनानुसार मोहनीदेवी जो कि रामुराम की माता है, का नाम सुरजाराम (रामुराम के पिता) के फौत होते ही नामान्तरकरण अपील में दर्ज होना अपेक्षित था। सक्षम न्यायालय में नामान्तरकरण अपील प्रक्रियागत गलती या सजरा खानदान में विधिक वारिसान का नाम छूट जाता है नामान्तकरण अपील प्रस्तुत किये जाने का भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रावधान है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अनूसची वर्ग–1 में पत्नि, पुत्र, पुत्रिया, वारिसान होते है जो कि हस्तगत अपील में रामुराम के फौत होने पर पत्नि सीतादेवी, पुत्रियां, भंवरीदेवी व विमलादेवी तथा रजिस्टर्ड गोदनामा के दतकपुत्र श्यामसुन्दर है। फौतगी नामान्तकरण में रामुराम के उक्त विधिक वारिसान का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जो कि अनसूची वर्ग 1 के अनुसार नामान्तकरण में दर्ज नहीं किये गये है एवं सही किये जाने योग्य तथा आवश्यक है।

हस्तगत अपील में वकील रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार कि प्रकरण हाजा से संबंधित विवादग्रस्त खसरा नं. 1821 व 1848 के संबंध में घोषणात्मक वाद न्यायालय हाजा में चल रहा है, जिसमें नवीन घोषणा की जानी है, जबकि अपीलार्थी भंवरीदेवी व विमलादेवी का तो जन्म से ही पुश्तैनी भूमि में अधिकार है, केवल राजस्व रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज नहीं है। नामान्तरकरण एक Fiscal Proceeding है। जिसमें विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, न कि नवीन घोषणा की जाती है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

पत्रावली में वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण अपील में ग्राम पंचायत कठौती द्वारा नामान्तकरण संख्या 1103 में स्व. रामुराम के फौत होने पर माता मोहनी का नाम प्रक्रियागत गलत दर्ज किया गया है तथा स्व. रामुराम की जायन्दा बेटियां अपीलार्थी भंवरीदेवी व विमलादेवी का नाम का विधिक वारिसान होते हुये भी दर्ज नहीं किया जाना गलत है। इसी प्रकार श्यामसुन्दर के रजिस्टर्ड गोदनामा के निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने मात्र से दतक पुत्र के अधिकार भी समाप्त नही होते है। इसलिए जब तक गोदनामा निरस्त नहीं होता है तब तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्यामसुन्दर विधिक उतराधिकारी रहेगा।

यत् अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील नामान्तरकरण संख्या 1103 प्रक्रियागत खामी तथा विधिक वारिसान अनुसार नहीं होने के कारण निरस्त योग्य तथा स्व. रामुराम के विधिक वारिसान में स्व. रामुराम की माता मोहनीदेवी का नाम हटाने तथा स्व. रामुराम की पत्नि सीतादेवी एवं पुत्रियां भंवरीदेवी व विमलादेवी का नाम संयोजित जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : :–

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 1103 द्वारा ग्राम पंचायत कठौती प्रक्रियागत खामी एवं विधिक वारिसान के अनुसार सही नहीं होने से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि ग्राम कठौती तहसील जायल के खसरा नं. 1821 व 1848 में स्व. रामुराम के फौत होने पर मोहनीदेवी (रामुराम की माता) का नाम विलोपित करते हुये, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के वर्ग अनुसूची – 1 के विधिक वारिसान में अपीलार्थी भंवरीदेवी व विमलादेवी एवं स्व. रामुराम की पत्नि सीतादेवी का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्यामसुन्दर के साथ दर्ज किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16/12/2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

16/12/2020

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, जायल